न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती हरफूल सिंह यादव, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 6/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/6

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

अपीलाण्ट :–

1. मथरा बेवा जुहारसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम देवकी, तहसील– आहोर, जिला–जालोर राजस्थान
2. श्रीमती इन्द्राकंवर पुत्री श्री जुहारसिंहजी पत्नि श्री प्रतापसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी ग्राम–धाणसा, तहसील–भीनमाल, जिला–जालोर राजस्थान
3. श्रीमती मोहनकंवर पुत्री श्री जुहारसिंहजी पत्नि श्री सवाईसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी ग्राम–बिठुड़ा, तहसील–आहोर, जिला–जालोर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. ग्राम पंचायत देवकी जरिये सरपंच/ग्रामसेवक
2. वगता पुत्र श्री वागारामजी फौत के कायम मुकाम :–
   - 2/1 श्रीमती हीरादेवी बेवा वगताजी,
   - 2/2 विक्रमसिंह पुत्र श्री वगताजी,
   - 2/3 नरपतसिंह पुत्र श्री वगताजी,
   - 2/4 भंवरसिंह पुत्र श्री वगताजी, तमाम जातिगण–राजपूत, निवासीगण ग्राम– देवकी, तहसील–आहोर, जिला– जालोर राजस्थान
   - 2/5 श्रीमती सायरकंवर पुत्री श्री वगताजी पत्नि श्री दलपतसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी ग्राम–भंवरानी, तहसील–आहोर, जिला–जालोर राजस्थान
   - 2/6 श्रीमती कंकरकंवर पुत्री श्री वगताजी पत्नि श्री जोगसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी ग्राम कंवला,तहसील–भाद्राजून, जिला–जालोर राजस्थान
   - 2/7 श्रीमती रेखाकंवर पुत्री श्री वगताजी पत्नि श्री भरतसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी ग्राम–कोटड़ा, तहसील–आहोर, जिला–जालोर राजस्थान
3. [illegible]सिंह पुत्र श्री लख[illegible]
4. [illegible]तापसिंह पुत्र श्री ल[illegible], जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम–देवकी, तहसील–आहोर, जिला–जालोर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:29 IST
Reason: SelfAttested

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के प्रकरण संख्या 1/2012</u>

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 31.05.2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के प्रकरण संख्या 1/2012 में निर्णय दिनांक 15.02.2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मौजा ग्राम–देवकी, तहसील–आहोर, जिला–जालोर के खसरा नम्बर 229 रकबा 38 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 01 बीघा कुल रकबा 86 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिस कृषि भूमि का एकमात्र काबिज रेकॉर्डेड खातेदार अपीलाण्ट्स के पति, पिता जुहारसिंह का पिता एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/7 के पति, पिता वगता के पिता एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के पिता लखमा के पिता वागा पुत्र श्री भेराजी, निवासी ग्राम देवकी, तहसील–आहोर, जिला–जालोर था एवम् रहा तथा उक्त खातेदार वागा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी में काबिज रह काश्त करता था एवम् रहा जिस वागा पुत्र श्री भेराजी का देहान्त करीब वर्ष 1956 में हो चुका जिस वागा पुत्र श्री भेराजी की मृत्यु के वक्त उक्त वागा पुत्र श्री भेराजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण बतौर जायन्दा पुत्रों के अपीलाण्ट संख्या 01 का पति व अपीलाण्ट संख्या 02 व 03 का पिता जुहारसिंह जिस जुहारसिंह की मृत्यु हो जाने से अपीलाण्ट्स एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/7 के पति, पिता वगता एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के पिता लखमा जीवित मौजूद थे एवम् रहे तथा वागा पुत्र श्री भेराजी की बेवा का देहान्त वागा के जीवनकाल में हो चुका था जिससे वागा पुत्र श्री भेराजी की मृत्यु के वक्त उक्त वागा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण मृतक पुत्र जुहारसिंह के उत्तराधिकारीगण अपीलाण्ट्स एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/7 के पति, पिता वगता एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के पिता लखमा जीवित मौजूद थे एवम् रहे जिससे मृत वागा की उक्त आराजी खातेदारी भूमि वागा के तीनों पुत्रों जुहारसिंह, वगता एवम् लखमा प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से में खातेदारी हक–हकूक विरासत में कानूनन् प्राप्त हुये एवम् होते है, तत्पश्चात् उक्त आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार जुहारसिंह का देहान्त हो जाने से जुहारसिंह की मृत्यु के वक्त जुहारसिंह के उत्तराधिकारी बतौर बेवा एवम् पुत्रियों के अपीलाण्ट्स जीवित मौजूद थे, रहे एवम् आज भी जीवित मौजूद है जिससे उक्त आराजी के खातेदार वागा पुत्र श्री भेराजी की मृत्यु के पश्चात् से ऊपर निवेदन अनुसार मृतक वागा के तीनों पुत्रों जुहारसिंह, वगता एवम् लखमा एवम् उक्त तीनों पुत्रों की मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारीगण 1/3 हिस्से की भूमि पर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2/1 लगाय 2/7 एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 मय इनके पूर्वज पिता वगता व लखमा द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से मिलीभगत व साजिश कर कानून की मंशा के खिलाफ उक्त आराजी का खातेदार वागा पुत्र श्री भेराजी की सम्पूर्ण कृषि भूमि निस्बत् विरासती म्युटेशन संख्या 27 स्वीकृत अदिनांकित के जरिये मृत खातेदार वागा के दीगर उत्तराधिकारीगण मृतक पुत्र जुहारसिंह के उत्तराधिकारीगण अपीलाण्ट्स बतौर बेवा एवम् पुत्रियों के जीवित मौजूद होते हुये रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/7 के पति, पिता वगता एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के पिता लखमा मात्र दो पुत्र जायन्दा बताते हुये अपीलाण्ट्स की पैतृक खातेदारी भूमि होने के बावजूद अदालत मातेहत ग्राम पंचायत देवकी द्वारा अपीलाण्ट्स को बिना जवाब शहादत सुनवाई का नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिये एवम् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 की अनुसूची वर्ग 01 की मंशा के विपरीत सम्पूर्ण खातेदारी भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/7 के पति, पिता वगता एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के पिता लखमा के नाम खिलाफ कानून म्युटेशन संख्या 27 स्वीकृत करने में अदालत मातेहत ने कानूनी वाक्याती गम्भीर भूल की है जिससे अदालत मातेहत द्वारा सादिर म्युटेशन संख्या 27 कानूनन् शून्य एवम् void ab-initio & nunest के था वो है जिस कानून की मंशा के खिलाफ अदालत मातेहत उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा उक्त शून्य म्युटेशन संख्या 27 को निरस्त नहीं कर अपीलाण्ट्स की बिना सुनवाई किये नियत पेशी तारीख 21.02.2024 के पूर्व सादिर आदेश दिनांक 15.02.2024 के जरिये अपील अपीलाण्ट्स को खारिज करने में कानूनी वाक्याती गम्भीर भूल की है जिससे अदालत मातेहतान् द्वारा सादिर दोनों ही आदेश जैर अपील म्युटेशन संख्या 27 एवम् आदेश दिनांक 15.02. 2024 कानूनन् काबिल निरस्त के है। म्युटेशन संख्या 27 एवम् आदेश दिनांक 15.02.2024 की नकलें प्रमाणित साथ पेश है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अदालत मातेहत ग्राम पंचायत देवकी द्वारा म्युटेशन संख्या 27 सादिर के पूर्व म्युटेशन जैर अपील में वर्णित आराजी का खातेदार वागा पुत्र श्री भेराजी के तमाम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 की अनुसूची वर्ग 01 अनुसार जायन्दा पुत्र जुहारसिंह के उत्तराधिकारीगण बतौर उनकी बेवा एवम् पुत्रियां अपीलाण्ट्स को सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार जवाब शहादत सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया एवम् हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 08 की मंशा के खिलाफ मृतक वागा की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/7 के पति, पिता वागा एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 के पिता [illegible] पुत्र दोनों के नाम खिलाफ कानून म्युटेशन संख्या 27 सुनवाई के आज्ञापक प्रावधानों की मंशा के विरुद्ध आदेश जैर अपील सादिर करने में कानूनी वाक्याती [illegible] आराजी के 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार अपीलाण्ट्स कानूनन् थे एवम् [illegible] एवम् आज भी मौके पर काबिज रह अपनी पुश्तैनी सामलाती भूमि पर काबिज रह काश्त करते है जिससे अदालत मातेहत द्वारा सादिर म्युटेशन संख्या 27 स्वीकृत अदिनांकित कानूनन् शून्य एवम् void ab-initio & nunest के से होने से कानूनन् काबिल निरस्त के था वो है जिस शून्य म्युटेशन संख्या 27 को निरस्त नहीं कर अदालत मातेहत उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा अपील अपीलाण्ट्स विधि विरूद्ध तरीके से खारिज करने निस्बत् सादिर आदेश जैर अपील

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार क्षेत्र के से एवम् होने शून्य void ab-initio & nunest के से कानूनन् काबिल निरस्त के है। ऐसे void ab-initio & nunest आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जाकर कानूनन् निरस्त करवाया जा सकता है ऐसी कानून की मंशा है जिससे भी अदालत मातेहतान् द्वारा सादिर दोनों ही आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि आदेश जैर म्युटेशन संख्या 27 में वर्णित आराजी अपीलाण्ट्स एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 लगाय 2/7 एवम् रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 की पुश्तैनी संयुक्त हिस्से की खातेदारी भूमि है जो अपने पूर्वज वागा पुत्र श्री भेराजी के से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 की मंशानुसार विरासत में प्राप्त हुई है जिससे उत्तराधिकार में प्राप्त पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक उत्तराधिकारी का इंच इंच हिस्से की भूमि में कब्जा वो काश्त कानूनन् माना जाता है एवम् कोई उत्तराधिकारी दूसरे अन्य उत्तराधिकारी सहखातेदार के विरूद्ध एडवर्स पजेशन के जरिये खातेदारी घोषणा पाने का कानूनन् हकदार नहीं होता है जिस कानून की मंशा के खिलाफ अदालत मातेहत द्वारा कब्जे एवम् एड़वर्स पजेशन का गलत खिलाफ कानून सहारा लेते हुये आदेश जैर अपील बहक रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 04 खिलाफ अपीलाण्ट्स सादिर करने में कानूनी वाक्याती गम्भीर भूल की है वैसे भी खातेदारी भूमि में एड़वर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा किये जाने के प्रावधान नहीं है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा 2011 आर.आर.टी. पेज 711 Full Bench में Held किया है जिस कानून की मंशा के खिलाफ अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि अदालत मातेहत ग्राम पंचायत देवकी के म्युटेशन संख्या 27 स्वीकृत अदिनांकित एवम् अदालत मातेहत द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आहोर के आदेश दिनांक 15.02.204 को निरस्त फरमाते हुये अपील अपीलाण्ट्स मय हर्जा वो खर्चा के मंजूर फरमाते हुये अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 27 में वर्णित आराजी मौजा ग्राम–देवकी, तहसील–आहोर, जिला–जालोर के खसरा नम्बर 229 रकबा 38 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 01 बीघा कुल रकबा 86 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार मृतक वागा पुत्र श्री भेराजी के तीन जायन्दा पुत्र जुहारसिंह, वगता एवम् लखमा होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 की अनुसूची वर्ग 01 की मंशानुसार अपीलाण्ट्स के पति, पिता जुहारसिंह को विरासत में प्राप्त 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि का म्युटेशन अपीलाण्ट्स के नाम से स्वीकृत किये जाने का आदेश [illegible]।

5. हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी, आहोर के द्वारा पारित अपील संख्या 1/2012 अनवान मथरा बनाम ग्राम पंचायत देवकी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर ने अपने आदेशिका 13.02.2024 से आगामी तारीख पेशी 21.02.2024 को नियत थी लेकिन बिना पक्षकारो को सूचित करते हुये उक्त नियत तारीख 21.02.2024 से पूर्व

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 27 अदिनांकित में वर्णित आराजी अपीलाण्ट के पुश्तैनी भूमि होने से अपीलाधीन नामांतरकरण को भी निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना किसी जांच के आदेश/सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित आदेशों को यथावत रखे जाने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत देवकी द्वारा पारित नामातंरकरण संख्या 27 अदिनांकित एवं अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, आहोर को प्रकरण इस निर्देश का प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 27 में वर्णित आराजी का खातेदार मृतक वागा पुत्र भेराजी जाति रजपुत निवासी देवकी के जाईन्दा पुत्र अपीलाण्ट के पूर्वज जवाहर सिंह, लखमा व वगता तमाम उराधिकारीगण अपीलाण्ट्स एवं अन्य तमाम को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर निर्णय कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

31.5.2024
(हरफूल सिंह यादव)
अति. संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 31.05., 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

31.5.2024
(हरफूल सिंह यादव)
अति. संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.06.27 19:15:29 IST
Reason: SelfAttested